कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी – 221002

पत्रांक : प0सा0 / से0नि0 / 817 / 2017

दिनांक : 2 नवम्बर, 2018

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
जनपद–वाराणसी, चन्दौली, भदोही, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

विषयः **विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आवश्यक सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–04 / 2018 / 101 / सत्तर–1–2018–16(9) / 2018 दिनांक 01 फरवरी, 2018 से परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु लिये गये निर्णय के अनुसार उन्हीं महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकता है जिसमें अधोलिखित सुविधाएं उपलब्ध हों–

1. महाविद्यालय के सभी अध्यापन कक्षों के साथ ही आवश्यक स्थानों पर यू.आर.एल. से कनेक्टेड सी.सी.टी.वी. कैमरा वाइस रिकार्डर के साथ लगा हो तथा उसका लिंक विश्वविद्यालय से जुड़ा हो।
2. महाविद्यालय में नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य एवं अध्यापक उपलब्ध हों। महाविद्यालय में इण्टरनेट एवं वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध हो।
3. महाविद्यालय में आधारभूत अवस्थापना सुविधाएं हों, महाविद्यालय की धारण क्षमता के अनुसार फर्नीचर, शुद्ध पेयजल, अग्नि शमन यन्त्र, शौचालय (महिला एवं पुरूष हेतु अलग–अलग) की व्यवस्था तथा विद्युत कनेक्शन के साथ ही अबाध विद्युत आपूर्ति हेतु जनरेटर अवश्य लगा हो।
4. महाविद्यालय की मुख्य सड़क मार्ग से दूरी कम हो तथा मुख्य मार्ग से महाविद्यालय के लिंक मार्ग पर कम से कम खडंजा लगा हो।
5. महाविद्यालय के चारो ओर सुरक्षित चहारदीवारी एवं मुख्य प्रवेश द्वारा पर गेट लगा हो।
6. जिन महाविद्यालयों के अद्यतन डाटा ए0आई0एस0एच0ई0 के पोर्टल पर अपलोड हों उन्हें ही परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।
7. जिन महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति में विवाद हों उन्हें परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

उपर्युक्त सूचना निर्धारित प्रारूप में **दिनांक 15 नवम्बर, 2018 तक** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिन महाविद्यालयों में उक्त सुविधाएं होगी उन्हीं को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

नोटः **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों में क्रमांक 01 से 07 तक की सभी अवस्थापना सुविधाओं की पूर्णता सम्बद्धता नियमों के अनुसार आवश्यक है। जिन महाविद्यालयों में उक्त अवस्थापना सुविधाओं का अभाव पाया जायेगा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।**

भवदीय,

संलग्नक– प्रारूप।

डॉ0(एस.एल.मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 कुलपति जी, सूचनार्थ।
2. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अधीक्षक, सम्बद्धता।

कुलसचिव

(प्रारूप)

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

<table>
<tr><td>1.</td><td>महाविद्यालय का नाम</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>प्राचार्य का नाम</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>महाविद्यालय के कुल अध्यापन कक्षों की संख्या</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की संख्या</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कार्यरत प्राचार्य/अध्यापकों नाम, पद नाम, विषय एवं नियुक्ति तिथि का विवरण</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>अध्यापक का नाम</th><th>पद नाम</th><th>विषय</th><th>आधार नं0</th><th>नियुक्ति तिथि</th><th>विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन की तिथि</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>महाविद्यालय के अध्यापन कक्षों के साथ अन्य स्थानों पर वाइस रिकार्डर के साथ लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों की संख्या</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>सी.सी.टी.वी. कैमरों को विश्वविद्यालय से कनेक्ट करने वाले यू.आर.एल.का नाम</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>महिलाओं हेतु कामन रूम की व्यवस्था का विवरण</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>महाविद्यालय में इण्टरनेट एवं वाई-फाई सुविधाओं की स्थिति</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का विवरण</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>शौचालय की व्यवस्था का विवरण (महिला एवं पुरूष हेतु अलग-अलग)</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>महाविद्यालय में सुरक्षित चहारदीवारी एवं मुख्य द्वारा पर लगे गेट की स्थिति</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>महाविद्यालयों द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 के पोर्टल पर अपलोड डाटा की अद्यतन स्थिति (सर्टीफिकेट संलग्न करें)</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>महाविद्यालय का मुख्य सड़क मार्ग से दूरी</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>मुख्य सड़क मार्ग से महाविद्यालय तक के लिंक मार्ग की स्थिति</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>अग्निशमन की स्थिति</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>सुरक्षा हेतु किये गये व्यवस्था का विवरण</td><td>:</td><td></td></tr>
</table>

हस्ताक्षर एवं मुहर
प्राचार्य